न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/02/2020 दायर दिनांक 06.07.2020

उनवान

1. अब्दुल सत्तार पुत्र अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी।

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 06.10.2020

—:निर्णयः—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के आराजी संख्या 2320, 2423, 2424, 5088/2425 व कपासन के आराजी संख्या 6065, 6066, 6067, 6068 6069, 6070 स्थित है जिसमें मैं खातेदार हूॅ व नाम सत्तार भाई दर्ज है जबकि मेरा पहचानपत्र व राशनकार्ड में नाम अब्दुल सत्तार है। अतः रेवेन्यू रेकार्ड में मेरा नाम सत्तार भाई के बजाय अब्दुल सत्तार दर्ज किया जावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार से जवाब प्राप्त किया। जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्व करें व प्रार्थी के नाम बैंक रहन दर्ज है अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

प्रार्थी ने साक्ष्य में चालु जमाबन्दी ग्राम मुंगाना व कपासन, व पहचान पत्र व आधार कार्ड प्रस्तुत किये। सहखातेदारी कयूम पुत्र अब्दुल लतीफ व रज्जाक पुत्र अब्दुल लतीफ ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अब्दुल सत्तार व सत्तार भाई एक ही व्यक्ति है व राजस्व रेकार्ड में अब्दुल सत्तार नाम दर्ज किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है साथ ही नगरपालिका वार्ड न. 12 पार्षद द्वारा भी इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि अब्दुल सत्तार उर्फ सत्तार भाई एक ही व्यक्ति है। बैंक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2020.10.06 17:08:51 IST
Reason: SelfAttested

रहन के संबंध में प्रार्थी द्वारा ग्राम कपासन के नामांतरकरण संख्या 3765 दिनांक 27.08.2020 व ग्राम मुंगाना के नामांतरकरण संख्या 2144 दिनांक 27.08.2020 से रहनमुक्त होने से प्रमाणित जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। हमने पत्रावली अवलोकन किया, की गयी बहस पर मनन किया अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कपासन को आदेशित किया जाता है कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के खाता संख्या 1719 की आराजी संख्या 6065, 6066, 6067, 6068 6069, 6070 कुल किता 6 कुल रकबा 2.02 है0 में दर्ज सत्तार भाई पुत्र अब्दुल लतीफ के बजाय अब्दुल सत्तार उर्फ सत्तार भाई पुत्र अब्दुल लतीफ नीलगर दर्ज किया जावे व मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी की आराजी संख्या 2320, 2423, 2424, 5088/2425 में दर्ज सत्तार भाई पुत्र अब्दुल लतीफ के बजाय अब्दुल सत्तार उर्फ सत्तार भाई पुत्र अब्दुल लतीफ नीलगर दर्ज किया जावे व शेष बदस्तुर रहें तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2020.10.06 17:08:51 IST
Reason: SelfAttested